

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, लेखा भवन झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र. ) - 474002

Office of the Accountant General (A&E)-II Lekha Bhawan, hansi Road, Gwalior (M.P.) - 474002

पत्र क्रमांक/FM/213

दिनांक:-17/8/15

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
'क' विंग, प्रथम तल  
सतपुडा भवन, भोपाल

विषय- सामान्य भविष्य निधि के रख-रखाव एवं अंतिम भुगतान प्रकरणों के त्वरित निराकरण बावत।

महोदय,

मध्यप्रदेश राज्य के अधिकारियों / कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों के गुणवत्ता पूर्ण रख-रखाव एवं इनके अंतिम भुगतान प्रकरणों का सेवा निवृत्ति से पूर्व निराकरण करने हेतु मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-2/2015/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 04.06.2015 में दिये गए निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये, साथ ही निम्न बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।

- (1) सामान्य भविष्य निधि नियम 10(1) के संशोधित प्रावधानानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि के कतौत्रे उनकी सेवानिवृत्ति तिथि से चार माह पूर्व बंद कर अंतिम भुगतान प्रकरण महालेखाकार कार्यालय को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर तत्काल भेजे जाये।
- (2) अंतिम भुगतान आवेदन के साथ सत्यापित मूल पासबुक दिनांक 05.06.1972 से सेवा निवृत्ति तक भुगतान किये गये आंशिक अंतिम आहरणों की सूची अनिवार्य रूप से संगलन की जाये। मृत अभिदाताओं के प्रकरण के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, मूल नामांकन, यदि मूल नामांकन उपलब्ध नहीं है तो इस बावत प्रमाण पत्र एवं परिवार के सदस्यों की सूची संलग्न की जाये।
- (3) जीवित ऋणात्मक शेष खातों की समीक्षा कर आवश्यक समाशोधन कराया जाये। एवं ऋणात्मक शेष के खातों से आहरण की स्वीकृति प्रतिबंधित की जाये। ऋणात्मक अंतिम शेष प्रकरणों में अंतिम निर्धारण उपरान्त राशि की नियमानुसार वसूली की जाये।
- (4) आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा अभिदाता की पासबुक का संधारण उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। अतः मध्यप्रदेश शासन के आदेश वि.वि. क्रमांक एफ -5/5/2005/नियम चार दिनांक 29.06.2005 के अनुसार विभाग द्वारा अभिदाता की पासबुक में सभी जमा एवं आहरण की पूर्ण विवरण सहित प्रविष्टियाँ दर्ज कर ब्याज गणना सहित अनिवार्य रूप से प्रमाणित की जाये।
- (5) वेतन देयक के साथ संलग्न किये जाने वाले सामान्य भविष्य निधि के कतौत्रा पत्रक में अभिदाता का नाम, इस कार्यालय से आवंटित खाता क्रमांक व कतौत्रे की राशि एवं मुख्यशीर्ष का स्पष्ट उल्लेख किया जावे जो टाइप किया हुआ हो।
- (6) इस कार्यालय द्वारा अप्रविष्ट मदों की सूची प्रेषित कर संबंधित अधिकारियों से वांछित जानकारी मांगी जाती है। लेकिन अधिकांश प्रकरणों में जानकारी अप्राप्त रहती है। संबंधित अधिकारियों के इस विषय में तुरंत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दें।

- (7) यदि अभिदाता विभागीय भविष्य निधि का सदस्य रहा हो और पदोन्नति उपरान्त सामान्य भविष्य निधि में कतौत्रे प्रारम्भ किये गये हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन इस कार्यालय में भेजकर खाता आवंटित कराया जाये एवं उसके साथ ही विभागीय भविष्य निधि का खाता पूर्ण विवरण सहित ब्याज की गणना कर बन्द किया जावे तथा निर्धारित प्रारूप में सामान्य भविष्य निधि में समायोजन हेतु विधिवत प्रस्ताव 'न भुगतान' प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को तत्काल भेजा जाये ।
- (8) मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम 1995 के नियम 16 ए(3) के अनुसार सा.भ.नि. से होने वाले प्रत्येक प्रत्याहरण के स्वीकृत आदेश की प्रति महालेखाकार को पृष्ठान्तिकित होना चाहिये। अधिकांश प्रकरणों में स्वीकृत आदेश इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अतः प्रत्येक प्रत्याहरण के स्वीकृत आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से महालेखाकार कार्यालय को पृष्ठान्तिकित की जाना सुनिश्चित किया जाये ।
- (9) यदि अभिदाता के खाते में कोई विसंगति हो तो पूर्ण सत्यापित विवरण के साथ आवेदन विभाग के माध्यम से भेजा जाये। किसी भी प्रकार की शिकायत इस कार्यालय की वेबसाइट में Online Grievance Redressal पर भी दर्ज की जा सकती है । जिसका निराकरण एक माह में अनिवार्य रूप से किया जाता है।
- (10) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 2085/642/नि.2/चार/89 दिनांक 05.06.1989 द्वारा शिकायत सीधे नियंत्रक महालेखापरीक्षक नई दिल्ली को भेजना प्रतिबंधित है।

अभिदाताओं के वर्ष 2014-15 के सामान्य भविष्य निधि लेखा विवरण इस कार्यालय की वेबसाइट [www.agmp.cag.gov.in](http://www.agmp.cag.gov.in) एवं [www.agmp.nic.in](http://www.agmp.nic.in) पर अपलोड कर दिए गए हैं ।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें ।

भवदीया

प्रगति सिंह  
उप महालेखाकार (निधि)